Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 1a2ad6b9d77cab66d275
Receipt Date : 11-Nov-2023 04:12:38 pm
Receipt Amount : 238412/-
Amount In Words : Two Lakh Thirty Eight Thousands Four Hundred And Twelve Rupees Only
Token Number : 202300148643
Office Name : District SRO - Jamshedpur
Document Type : Sale Deed
Payee Name : NAMAN KUMAR (Vendee)
GRN Number : 2320141233

-: For Office Use :-

Retrieved

2023|JSR|6131|BK1|5700

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Kalyani Mukherjee

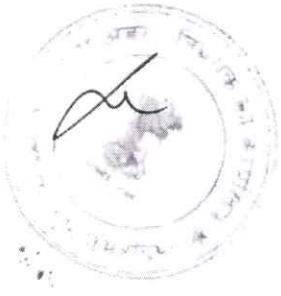


Kalyani Mukherjee
11/11/25

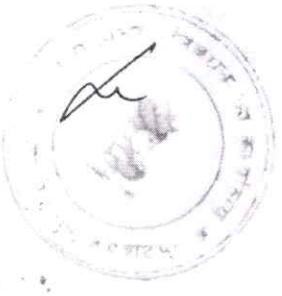
11/11/25

कल्याणी संतरा
@
कल्याणी पुरबोती पति:- नीलकमल पुरबोती
ग्राम बाटाबाटी थाकची
11/11/25
10/L
Mahakuj

11/11/25









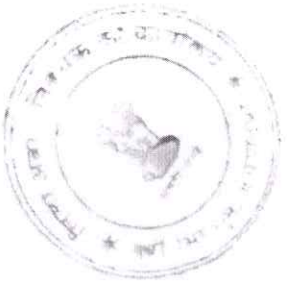
D/R. D/Y

@ 8092X735 = 5947620=00

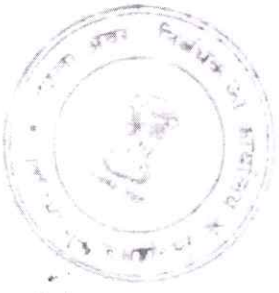
@ 1265861X0.01= 12658=61

59,60278=61.

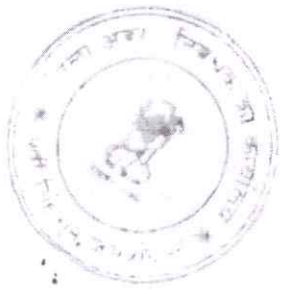
11/11/Date



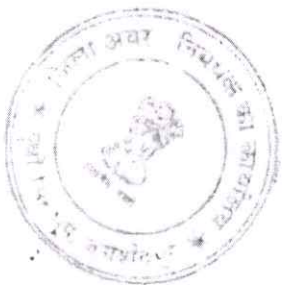












मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया ।

हस्ताक्षर –
17/10/03

पदनाम –
Clerk

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर –
17.10.2003

पदनाम –
Clerk.
Asstt Sub. Registrar
17.10.03

कार्यालय –

तारिख 17.10.2003

जिला अवर निबंधक
निबंधन पदाभिधारी का हस्ताक्षर
अमरोदपुर
17.10.2003

टिप्पणी :—इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं । वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये । यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगें ।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (ईन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी ।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है । इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया हैं, इसलिए विभाग द्वारा ढूंढे गये एसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड़ता हो ।